दिनांक 16.03.2023 को जिलाधिकारी महोदया पिथौरागढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक का कार्यवृत्त

1. अ–उपस्थिति– संलग्नक परिशिष्ट
2. ब– स्थान कलेक्ट्रेट, समय 12.30 अपरान्ह

सर्वप्रथम महाप्रबन्धक/सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदया एवं सदन में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

बिन्दु सं0 01 : औद्योगिक आस्थान बिण में रिक्त भूखण्डों के आवंटन पर विचार– महाप्रबन्धक उद्योग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि दिनांक 4.3.2023 को विकास भवन सभागार में औद्योगिक आस्थान बिण में 31 प्लाटो के आवंटन हेतु आवेदनकर्ताओं का साक्षात्कार लिया गया, जिनमें 25 आवेदनकर्ता उपस्थित हुए, 03 आवेदनकर्ताओं द्वारा अनुपस्थिति का कारण देते हुए साक्षात्कार प्रकिया में सम्मिलित होने हेतु प्रत्यावेदन दिया है, जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्तमान में साक्षात्कार में सम्मिलित 25 आवेदनकर्ताओं को प्लाट आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। अनुपस्थित 06 आवेदनकर्ताओं में से जो इच्छुक है, उनका समिति द्वारा आगामी जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक में साक्षात्कार लिये जाने के पश्चात ही आवंटन किया जायेगा।

महाप्रबन्धक उद्योग द्वारा समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित उद्यम के अनुसार प्रकृतिवार आस्थान में प्लाटो का विभाजन किया गया है, जिसमें एक तरह का उद्यम स्थापित करने वाली इकाईयों को एक तरफ आवंटन किया जायेगा, जिसमें जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि एक तरह की इकाई स्थापित करने वाले आवेदनकर्ताओं को अवगत कराते हुए जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में आमंत्रित कर उनसे सहमति प्राप्त कर ली जाए। यदि वे सहमत नहीं होते हैं तो उनके मध्य लाटरी द्वारा निर्णय निकाला जाए, जो भी निर्णय हो वह समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। समिति विवाद की स्थिति में आवेदनकर्ताओं का पक्ष जानने के पश्चात प्लाट आवंटन का अंतिम निर्णय लेगी। जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि आवंटन पश्चात समस्त आवंटियों को आस्थान में स्थापित शेड/भवन में एक तरह का ही कलर तथा न्यूनतम एवं अधिकतम ऊंचाई एक ही रखनी अनिवार्य होगी। साथ ही बिल्डिंग/शेड का सामने का व्यू एक जैसा होगा, जिसें महाप्रबन्धक उद्योग द्वारा आवंटन आदेश की शर्त में सम्मिलित किया जायेगा। महाप्रबन्धक उद्योग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्लाट आवंटन से पूर्व प्लाटो का डिमार्केशन किया जाना अनिवार्य है, जिस पर जिलाधिकारी महोदया द्वारा औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु प्रस्तावित बजट प्राप्ति की प्रत्याशा में डिमार्केशन किये जाने के निर्देश ब्रिडकुल को दिये गये। महाप्रबन्धक उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि हिल्ट्रान के सामने वाले प्लाट में विद्युत पोल है, जिन्हें हटाया जाना आवश्यक है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा विद्युत विभाग को सर्वे कर विद्युत पोल हटाये जाने का इस्टीमेट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही महाप्रबन्धक, जि0उ0के0/ब्रिडकुल/विद्युत विभाग)

अंत में सभी का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

सदस्य / सचिव
जिला उद्योग मित्र समिति,
पिथौरागढ़

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला उद्योग मित्र समिति

कार्यालय महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र पिथौरागढ़।
पत्रांक /उ0मि0बैठक/2022–23 दिनांक /03/2023
प्रतिलिपि– निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी महोदया, पिथौरागढ़।
4. समस्त सदस्य, जिला उद्योग मित्र समिति, पिथौरागढ़।

महाप्रबंधक
जिला उद्योग केन्द्र,
पिथौरागढ़।